भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 955
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

डीजीसीए द्वारा सुरक्षा ऑडिट

955. श्री दिलीप शइकीयाः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री आलोक शर्माः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री मनोज तिवारीः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री विजय बघेलः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2025 से आज तक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा किए गए सुरक्षा ऑडिट, रैंप निरीक्षण और निगरानी जांचों की संख्या कितनी है और निगरानी जांच की प्रक्रिया क्या है;
(ख) क्या विभिन्न एयरलाइनों में बार-बार होने वाली तकनीकी या परिचालन संबंधी खामियों/कमियों की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो एयरलाइन-वार उन विमानों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिनमें ऐसी खामियों की पहचान की गई है;
(ग) महानिदेशालय (डीजीसीए) में निरीक्षकों, पायलटों और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) वास्तविक समय की निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) क्या सिंगरौली विमानपत्तन से एयरलाइन सेवाएं संचालित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): विस्तृत निगरानी प्रक्रियाओं को डीजीसीए के निगरानी प्रक्रिया मैनुअल में निर्धारित किया गया, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नियोजित निगरानी गतिविधियां (वर्ष 2025):

(i) निगरानी निरीक्षण: 3,890 आयोजित किए गए

(ii) विनियामक संपरीक्षा: 56 आयोजित की गईं

(iii) विदेशी विमानों की निगरानी (एसओएफए): 84 आयोजित की गईं

(iv) रैंप जाँच: 492 आयोजित की गईं

अनियोजित निगरानी गतिविधियां:

(i) स्पॉट जाँच: 874 आयोजित की गईं

(ii) रात्रि निगरानी: 550 आयोजित की गईं

(ख): जनवरी 2025 से अब तक विभिन्न अनुसूचित एयरलाइनों के 754 विमानों में से कुल 377 विमानों में बार-बार होने वाली खामियों की पहचान की गई है। दिनांक 03.02.2026 तक एयरलाइनवार विवरण अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

(ग): वर्ष 2022 में, डीजीसीए के पास 637 स्वीकृत तकनीकी पद थे। भविष्य में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए, पुनर्संरचना की गई है और स्वीकृत तकनीकी पदों की संख्या बढ़ाकर 1063 कर दी गई है।

(घ): डीजीसीए ने दिनांक 07 जुलाई 2025 का निगरानी और प्रवर्तन प्रभाग परिपत्र संख्या 1/2025 जारी किया है, जिसमें सभी निगरानी गतिविधियों, कमी रिपोर्टिंग फॉर्म (सीए-2001) को जारी एवं बंद करने और प्रवर्तन आदेशों के लिए ईजीसीए पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य किया गया है, जो रियल टाइम आधार पर संपूर्ण निगरानी और प्रवर्तन प्रक्रिया की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।

(ङ): शीतकालीन अनुसूची 2025 के अनुसार, किसी भी अनुसूचित घरेलू एयरलाइन ने सिंगरौली हवाईअड्डे से/हवाईअड्डे के लिए निर्धारित उड़ान परिचालित करने का प्रस्ताव नहीं दिया है।

अनुलग्नक - क

क्र.सं.	**एयरलाइन का नाम**	**बार-बार होने वाली खामी के लिए विश्लेषित विमानों की संख्या**	**बार-बार होने वाली खामी के लिए पहचाने गए विमान की संख्या**
1.	इंडिगो	405	148
2.	एअर इंडिया	166	137
3.	एअर इंडिया एक्सप्रेस	101	54
4.	स्पाइसजेट	43	16
5.	एलाइंस एयर	7	8
6.	अकासा एयर	32	14
कुल		**754**	**377**

*****